खाद्य सुरक्षा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

सं.फा. 7(188)/12/डीओएफएस/प्रशा./7858–67.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एचआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक कार्यालय, खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **उप–खाद्य सुरक्षा आयुक्त** के पद पर नियुक्ति के लिए पदनाम, पदों की संख्या, पद का वेतनमान, आयु–सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परिवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति, विभागीय पदोन्नति समिति का गठन के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियमों में संशोधन करते हैं ।

खाध सुरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में उप–खाध सुरक्षा आयुक्त के पद के भर्ती नियम :–

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे–बैंड तथा ग्रेड–पे/वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप–खाद्य सुरक्षा आयुक्त	02* (2013) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	पीबी–3, ₹15600–39100/– (ग्रेड पे ₹6600/–)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोटः**–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	<u>अनिवार्य</u> क. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जैविक विज्ञान में स्नातक डिग्री अथवा रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या औषधि में डिग्री । अथवा (ii) इस पद के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्य योग्यता । ख. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं इनके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के प्रवर्तन में पांच वर्ष का अनुभव। **टीप–1**—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं लिखित में कारण दर्शाते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप–2**—यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों

						को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं लिखित में कारण दर्शाते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **वांछनीयः** (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में या जैव रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री या खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। (2) खाद्य विश्लेषण, खाद्य संरचना और सम्बद्ध विषयों के अध्यापन/शोध में दो वर्षीय अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेषन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिषत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेषन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेषन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं बौक्षिक योग्यता : नहीं	सीधी भर्ती वाले एवं पदोन्नति वाले प्रत्याशियों के लिये दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिनके सफल न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों प्रकार से सफल न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**पदोन्नतिः** पदमानित अधिकारीगण वेतनमान ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4600/– वेतन समूह–2 में नियुक्ति के उपरांत 7 वर्ष की नियमित सेवा एवं जिन्होंने उच्चतर पद अर्थात् उप–खाद्य सुरक्षा आयुक्त के दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों का एक माह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । **टीपः–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर	**"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिये) :—** 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य– अध्यक्ष 2. प्रशासन के संबंधित सचिव – सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जबकि वह प्र''ासन में पदेन सचिव न हो– सदस्य **वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ)** 1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार– अध्यक्ष	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शा आवश्यक है।

5321 DG/13-2

			ली है। **टीपः**– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारीगण; (क)(i)मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त वेतन समूह–3 ग्रेड वेतन ₹ 5400/– सहित ₹ 15600–39100/– के वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा सहित। (iii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त इस पर वेतन समूह–2 ग्रेड वेतन– ₹ 4800/– सहित ₹ 9300–34800/– के वेतनमान में छः वर्ष की सेवा सहित। (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। **टीप 1**: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। **टीप 3**:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर	2. प्रशासन के संबंधित सचिव – सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जबकि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो– सदस्य	

			आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेड"ान के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अ ोक कुमार, उप–सचिव
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)